न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : शोभालाल बनाम प्रतिवादी : जगन्नाथ

किस्म मुकदमा : वाद प्रकरण संख्या : 38/19

दिनांकः 06.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु काफी समय से लम्बित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। वादी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में खातेदार नहीं है ना ही वादपत्र में अथवा दस्तावेजों के माध्यम से इस बात का अंकन किया गया है कि वादी का वादग्रस्त आराजीयात में हिस्सा किस प्रकार बनता है। यदि वादीगण का अन्य किसी कारण से हक व हिस्सा निहित भी है, तो भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई, किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवम् उक्त वाद में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा–उदयपुर